सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 23/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :—31.01.2022

GCMS ID—2022/261

1. मनभर बाई पत्नी मोहनलाल जाति बाबाजी निवासी हिण्डोली जिला बून्दी।
2. कन्हैयालाल मोहनलाल जाति बाबाजी निवासी हिण्डोली जर्ये संरक्षक माता मनभरबाई पत्नी मोहनलाल जाति बाबाजी निवासी हिण्डोली जिला बून्दी
3. शंकरलाल आ0 गोपीनाथ जाति नाथ जी निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवदयाल आ0 जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी हनुमानपुरा तहसील दातारामगढ हाल निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

दिनांक :— 10/03/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 2615 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, 2741 रकबा 0.0890 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5342 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। कृषि भूमि खसरा संख्या 6317/2741 रकबा 0.1457 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076 से 2079 की खतोनी संख्या 826 मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि का मूल खसरा संख्या 2741 था जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के खसरा संख्या 6317/2741 बनाये गये है इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमियों का खाता पृथक—पृथक दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2741 पर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है एवं अप्रार्थी अपनी भूमि खसरा संख्या 6317/2741 पर काबिज है। पक्षकारान के मध्य कब्जे को लेकर किसी प्रकार का

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

कोई विवाद नहीं है। भूमि खसरा संख्या 6317/2741 व खसरा संख्या 2741 की मानचित्र/नक्शे में तरमीम कब्जे के अनुरूप नहीं की गई है जबकि तरमीम का मुध्य आधार कब्जा होता है। प्रार्थीगण के कब्जे के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 6317/2741 की तरमीम करदी गई है और प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 2741 की तरमीम कब्जे से भिन्न स्थान पर कर दी गई है जबकि तरमीम कब्जे के अनुरूप की जानी चाहिए, और कब्जे के अनुरूप ही तरमीम किये जाने के प्रावधान है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि को व उनके कब्जे को नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शालयागया है जिसके अनुरूप प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि की तरमीम किया जाना न्यायोचित है। राज्य सरकार द्वारा डीआरएलएमपी योजना के तहत सभी खातेदारान की भूमियों की तरमीम किये जाने के निर्देश दिये गये और राज्य सरकार के उक्त निर्देशों के तहत राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमियों की तरमीमें की गई, लेकिन निर्धारित अवधि में सभी खातेदारान की भूमियों पर जाकर भूमि का भौतिक सत्यापन कर तरमीम किया जाना समयाभाव के कारण संभव नहीं होने से पटवारी कानूनगो द्वारा दफ्तर में बैठ कर ही भूमि की तरमीमें कर दी गई है जिससे भूमि की तरमीमें कब्जे के अनुरूप नहीं हो पाई है और इसी क्रम में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि की तरमीम भी पटवारी कानूनगो द्वारा कब्जे का भौतिक सत्यापन किये बिना दफ्तर में बैठ कर तरमीम कर दी गई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 तरमीम कब्जे के अनुरूप नहीं किये जाने से व प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम कब्जे से भिन्न स्थान पर कर दिये जाने से प्रार्थीगण राजस्व मानचित्र/नक्शे में किये गये तरमीम के गलत इन्द्राज को निरस्त करवाकर कब्जे के अनुरूप तरमीम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने दिनांक 25.01.2022 को अपनी कृषि भूमि पर बैंक से के0सी0सी0 ऋण प्राप्त करने वास्ते जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल निकलवाई तब प्रार्थीगण को प्रथम बार दिनांक 25.01.2022 को उक्त गलत तरमीम के इन्द्राज की जानकारी हुई है। प्रार्थीगण ने उक्त तरमीम के गलत इन्द्राज को निरस्त करने हेतु तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार सा0 ने न्यायालय के आदेश के बिना तरमीम के गलत इन्द्राज को निरस्त करने से इंकार कर दिया, यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2741 में स्थित प्रार्थीगण के कब्जे के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 6317/2741 की तरमीम को निरस्त करवाये एवं नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णितानुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि की तरमीम करवावे। श्रीमान का`लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से धारा 131 एल0आर0एक्ट0 के तहत तरमीम के गलत इन्द्राज को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। भूमि ग्राम हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि ग्राम हिण्डोली की भूमि खसरा संख्या 2741 व 6317/2741 की नक्शे में की हुई वर्तमान तरमीम के इन्द्राज को निरस्त फरमाया जाकर कब्जे के अनुरूप व प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार मानचि/नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 2741 व अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

की भूमि खसरा संख्या 6317/2741 की तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :- राजस्व/24/4033 दिनांक 25.11.2024 में ग्राम हिण्डोली के खाता संख्या 346 के खसरा संख्या 2741 रकबा 0.0890 हैक्टेयर खानालाल पुत्र मोहनलाल, मनभर पत्नी मोहनलाल, शंकरलाल पुत्र गोपीनाथ, शहजाद खान पुत्र अलानुर के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है व खाता संख्या 762 के खसरा संख्या 6317/2741 रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि शिवदयाल पुत्र जगन्नाथ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बर में उत्तरी दिशा में (हिण्डोली की ओर) प्रार्थीया मनभर बाई वगै0 का कब्जा है तथा दक्षिणी दिशा में (बून्दी की ओर) अप्रार्थी शिवदयाल का कब्जा है उक्तानुसार ही तरमीम दुरूस्त किया जाना अपेक्षित है नजरी नक्शा संलग्न है। पेरोकार सरकार द्वारा गलत हो रही तरमीम को कब्जे अनुसार किया जाना उचित होना जबाव में अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31.07.2023 को राजीनाम प्रस्तुत किया जाकर खसरा संख्या 6317/2741 व खसरा संख्या 2741 ग्राम हिण्डोली की तरमीम के गलत इन्द्राज को निरस्त कर कब्जे अनुसार नये सिरे से तरमीम किए जाने का पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू-सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली के खाता संख्या 346 के खसरा संख्या 2741 रकबा 0.0890 हैक्टेयर व खाता संख्या 762 के खसरा संख्या 6317/2741 रकबा 0. 1457 हैक्टेयर की वर्तमान राजस्व नक्शे में गलत हुई तरमीमों को निरस्त कर पक्षकारान के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली के खाता संख्या 346 के खसरा संख्या 2741 रकबा 0.0890 हैक्टेयर व खाता संख्या

Email-sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

762 के खसरा संख्या 6317/2741 रकबा 0.1457 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व नक्शे में हुई तरमीमों को निरस्त किया जाकर पुनः तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 10.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446